



2026:AHC-LKO:12688-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

सिविल विविध समीक्षा आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 26 / 2026

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा इसके मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ व 3 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

दीपेंद्र प्रकाश तिवारी

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	निशांत शुक्ला ए.सी.एस.सी
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	रमाकांत दीक्षित

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. समीक्षा याचिका में 276 दिनों का विलंब है।
2. समीक्षा याचिका दायर करने में हुए विलंब का क्षमा करने (सी.एम.ए. 1 / 2026) के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
3. शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन में बताए गए कारणों के आधार पर, उसे स्वीकार किया जाता है। समीक्षा याचिका दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।
4. यह समीक्षा याचिका अपालार्थियों-याचिकाकर्ताओं द्वारा 'विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 121 / 2025: उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य बनाम दीपेंद्र प्रकाश तिवारी' में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के संबंध में दायर की गई है, जिसके माध्यम से विशेष अपील को इस न्यायालय के निर्णय 'उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य बनाम जग प्रसाद चौबे: विशेष अपील संख्या 191 / 2024, निर्णय दिनांक 06.09.2024 द्वारा पूरी तरह से आच्छादित होने के कारण खारिज कर दिया गया था।
5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रारंभ में ही यह संकेत दिया कि इसी तरह के आदेशों से संबंधित समान समीक्षा याचिकाएं इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य बनाम राजेंद्र बहादुर सिंह व 4 अन्य: सी.एम. समीक्षा आवेदन दोषपूर्ण संख्या 154 / 2025, निर्णय दिनांक 31.10.2025' और 'उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य बनाम उमाशंकर सिंह: सी.एम. समीक्षा आवेदन दोषपूर्ण संख्या 148 / 2025, निर्णय दिनांक 12.12.2025' के माध्यम से खारिज की जा चुकी हैं और इसलिए, वर्तमान समीक्षा याचिका, जो समान प्रकृति की है, भी खारिज किए जाने योग्य है।
6. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद करने की स्थिति में नहीं हैं कि वर्तमान समीक्षा याचिका में उठाया गया मुद्दा राजेंद्र बहादुर सिंह (सुप्रा) और उमाशंकर सिंह (सुप्रा) के मामले के समान है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. अतः, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरूण भंसाली, सीजे.)

18 फरवरी, 2026

हर्षिता/एएचए

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"